

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1170
08.12.2025 को उत्तर के लिए

वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन

1170. प्रो. सौगत राय :

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) पिछले एक माह से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (एनसीआर) के वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) का शहर-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक्यूआई विषाक्त स्तर पर है;
- (ग) केंद्र और राज्य सरकार द्वारा ऐसी भयावह स्थिति को रोकने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की घोषणा की है;
- (ङ) यदि हाँ, तो शहरों की सूची क्या है और उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत वर्तमान में स्थापित किए गए और प्रस्तावित मैनुअल/निरंतर वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों की संख्या कितनी है; और
- (च) विभिन्न शहरों में ऐसे मैनुअल/निरंतर वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों की स्थापना की समय-सीमा क्या है और इस बारे में शहर-वार कितना बजटीय आवंटन किया गया है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (च): नवम्बर, 2025 माह के दौरान दिल्ली का एक्यूआई स्तर **अनुलग्नक-1** में दिया गया है।

समन्वित प्रयासों के फलस्वरूप वर्ष 2016 की तुलना में वर्ष 2025 में दिल्ली में अच्छे दिनों (एक्यूआई <200) की संख्या 200 दिनों से घटकर 110 दिन रह गई है। हालांकि इस वर्ष वायु गुणवत्ता सूचकांक में समग्र सुधार हुआ है तथा बहुत बुरे दिन (एक्यूआई: 301-400) और गंभीर दिन (एक्यूआई 401 से अधिक) वर्ष 2016 की तुलना में वर्ष 2025 में 70 से घटकर 50 दिन रह गए हैं। दिल्ली में पिछले 08 वर्षों अर्थात् वर्ष 2018 से 2025 (वर्ष 2020 - कोविड लॉकडाउन को छोड़कर) न्यूनतम औसत एक्यूआई देखी गई है।

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण का समाधान करने के लिए, सरकार ने दिल्ली-एनसीआर और निकटतम क्षेत्रों में बेहतर समन्वय, अनुसंधान तथा वायु प्रदूषण की समस्याओं की पहचान और समाधान के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 के

अंतर्गत वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की स्थापना की है। अधिनियम के तहत वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को वायु गुणवत्ता को संरक्षित करने और सुधारने के लिए उपाय करने तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विभिन्न एजेंसियों को विनिर्देश जारी करने के लिए शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। अब तक, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु संबन्धित हितधारकों को 95 सांविधिक विनिर्देश और 17 परामर्शियां जारी की हैं।

सीएक्यूएम ने एनसीआर में विभिन्न प्रदूषणकारी गतिविधियों के लिए राष्ट्रीय मानकों की तुलना में कहीं अधिक सख्त उत्सर्जन मानक निर्धारित किए हैं। प्रगति की आवधिक समीक्षाओं, समय-समय पर जारी किए गए अनुवर्ती आदेशों और विनिर्देशों के माध्यम से कार्यान्वयन करने के लिए इन विनिर्देशों की सख्त निगरानी की जाती है।

ग्रेडेड रेस्पॉस एक्शन प्लान (जीआरएपी) तैयार किया गया है, जिसमें वायु प्रदूषण के स्तर की गंभीरता के अनुसार आमतौर पर कड़े सर्द महीनों में दिल्ली-एनसीआर में बनी रहने वाली स्थिति में आपातकालीन कार्रवाइयों का एक समूह उपलब्ध कराया जाता है।

दिन-प्रति-दिन आधार पर आईएमडी (भारतीय मौसमविज्ञान विभाग)/आईआईटीएम (भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान) द्वारा उपलब्ध कराए गए डाइनेमिक मॉडल और मौसम के पूर्वानुमान के आधार पर, ग्रेडेड रेस्पॉस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के चरण-I, II, III और IV के अंतर्गत की जाने वाली कार्रवाइयों को अग्रिम रूप से लागू किया जाता है, ताकि दिल्ली की वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के उस चरण के अनुमानित स्तर तक पहुँचने की संभावना को देखते हुए, मौसम संबंधी समग्र परिस्थितियों और मानवीय गतिविधियों के आधार पर अग्रिम तैयारी की जा सके।

सीएक्यूएम ने हाल ही में मौजूदा ग्रेडेड रेस्पॉस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के आकार की व्यापक समीक्षा कराई है और जीआरएपी के विभिन्न चरणों के अंतर्गत और सख्त कार्रवाइयों की हैं। जीआरएपी में हाल ही में किए गए संशोधनों का ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

सरकार दिल्ली-एनसीआर और निकटवर्ती क्षेत्रों में पराली जलाने से जुड़ी समस्याओं समेत वायु प्रदूषण के समाधान के लिए की गई कार्रवाइयों की निरंतर समीक्षा और निगरानी कर रही है। हाल ही में की गई कुछ प्रमुख बैठकों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श करने, वायु प्रदूषण कम करने के उपाय अपनाने तथा पूरे क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन को और सुदृढ़ करने की रणनीतियाँ तय करने हेतु, माननीय पर्यावरण, वीएन और जलवायु परिवर्तन मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 08.08.2025, 16.09.2025, 10.10.2025, 11.11.2025 और 03.12.2025 को नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं।

ii. फसल अवशेष जलाने के प्रबंधन के मुद्दों पर दिनांक 07.10.2025 को माननीये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री की सह-अध्यक्षता में मंत्री स्तर की अंतर-मंत्रालयी बैठक आयोजित की गई।

इन उपर्युक्त समीक्षा बैठकों में यह सहमति बनी कि दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) को वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को लागू करने के लिए उपलब्ध निधियों का शीघ्र और प्रभावी उपयोग करना चाहिए तथा अन्य महत्वपूर्ण कदम भी उठाने चाहिए, जैसे-निर्माण कार्यों से उत्पन्न धूल और नालों से निकली गाद की सफाई के कार्य का आवंटन, जीएनसीटीडी और एनसीआर राज्यों की सभी नगर निगम वार्डों में 'सेवा सप्ताह' का आयोजन, प्रतिबंधित वाणिज्यिक वाहनों के प्रवेश को रोकने के लिए सभी टोल केन्द्रों पर फास्ट-टेग और एएनपीआर कैमरों का कार्यान्वयन, एकीकृत कचरा संग्रहण और प्रबंधन योजना तैयार करना, गड्डों वाले मार्गों की पहचान और मरम्मत, सड़कों का आद्योपांत पक्का निर्माण, निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा के लिए फीडर केंद्र स्थापित करना, निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट से बने रिसाइकल उत्पादों की खपत बढ़ाने के उपाय, बड़े निर्माण स्थलों की निगरानी, 20-60 फुट चौड़ी सड़कों तथा 20 फुट से कम चौड़ी सड़कों पर मशीनीकृत सड़क सफाई, दिल्ली में पहचाने गए 62 भीड़-भाड़ वाले यातायात बिंदुओं का डी-कंजेशन, "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान के तहत हरित क्षेत्र बढ़ाना, सभी प्रदूषणकारी उद्योगों में ऑनलाइन निरंतर उत्सर्जन निगरानी प्रणाली और वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण समयबद्ध रूप से स्थापित करना।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जनवरी 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य सभी हितधारकों को सम्मिलित करते हुए 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 130 शहरों (नॉन-अटेनमेंट शहरों एवं मिलियन-प्लस शहरों) में वायु गुणवत्ता में सुधार करना है। संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियाँ, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मानदंडों के अनुरूप पर्यावरणीय वायु गुणवत्ता एकत्र करने हेतु मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित करती हैं। एनसीएपी के अंतर्गत शामिल शहरों में वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों का ब्यौरा अनुलग्नक-III में दिया गया है।

दिनांक 01 नवंबर, 2025 से 30 नवंबर, 2025 तक दिल्ली में एक्यूआई का स्तर

दिनांक	एक्यूआई
1 नवंबर 2025	303
2 नवंबर 2025	366
3 नवंबर 2025	309
4 नवंबर 2025	291
5 नवंबर 2025	202
6 नवंबर 2025	311
7 नवंबर 2025	322
8 नवंबर 2025	361
9 नवंबर 2025	370
10 नवंबर 2025	362
11 नवंबर 2025	428
12 नवंबर 2025	418
13 नवंबर 2025	404
14 नवंबर 2025	387
15 नवंबर 2025	386
16 नवंबर 2025	377
17 नवंबर 2025	351
18 नवंबर 2025	374
19 नवंबर 2025	392
20 नवंबर 2025	391
21 नवंबर 2025	364
22 नवंबर 2025	370
23 नवंबर 2025	391
24 नवंबर 2025	382
25 नवंबर 2025	353
26 नवंबर 2025	327
27 नवंबर 2025	377
28 नवंबर 2025	369
29 नवंबर 2025	305
30 नवंबर 2025	279

दिनांक 21.11.2025 को सीएक्यूएम द्वारा ग्रेडेड रिस्पांस प्लान (ग्रैप) में किए गए संशोधनों का ब्यौरा

आयोग ने ग्रैप के कार्यक्रम में निम्नलिखित संशोधन जारी किए हैं:

क. **ग्रैप स्टेज II** के तहत वर्तमान में किए जा रहे निम्नलिखित उपाय, **ग्रैप स्टेज I** के तहत भी किए जाने हैं:

- (1) वैकल्पिक बिजली उत्पादन सेट/उपकरण (डीजी सेट, आदि) के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करें।
- (2) यातायात की सुचारू गति के लिए चौराहों/यातायात भीड़भाड़ वाले स्थानों पर यातायात गतिविधियों को सिंक्रोनाइज़ करें और पर्याप्त कर्मियों को तैनात करें।
- (3) वायु प्रदूषण के स्तरों के बारे में सूचित करने और प्रदूषणकारी गतिविधियों को कम करने के लिए क्या करें और क्या न करें, इस बारे में लोगों को सलाह देने के लिए समाचार पत्रों / टीवी / रेडियो में अलर्ट जारी करें।
- (4) अतिरिक्त बेड़े को शामिल करके और सेवा की आवृत्ति बढ़ाकर सीएनजी / इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को बढ़ाएं। गैर-व्यस्ततम अवधि में यात्रा (ऑफ पीक ट्रैवल) के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अलग-अलग दरें लागू करें।

ख. **ग्रैप स्टेज III** के तहत वर्तमान में किए जा रहे निम्नलिखित उपाय **ग्रैप स्टेज II** के तहत भी किए जाएंगे:

- (1) (i) जीएनसीटीडी और एनसीआर राज्य सरकारें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिलों में सार्वजनिक कार्यालयों और नगर निकायों के लिए समय में बदलाव करेंगी।
(ii) राज्य सरकारें एनसीआर के अन्य क्षेत्रों में सार्वजनिक कार्यालयों और नगर निकायों के लिए समय में बदलाव करने का निर्णय ले सकती हैं।
- (2) केन्द्र सरकार, दिल्ली-एनसीआर में केन्द्र सरकार के कार्यालयों के समय में बदलाव करने के बारे में निर्णय ले सकती है।

ग. **ग्रैप स्टेज IV** के तहत वर्तमान में लागू निम्नलिखित उपाय **ग्रैप स्टेज III** के तहत भी लागू किए जाएंगे:

- (1) एनसीआर राज्य सरकारें/जीएनसीटीडी सार्वजनिक, नगर निगम और निजी कार्यालयों को 50% कर्मचारियों के साथ काम करने की अनुमति देने और शेष कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देने पर निर्णय लें।
- (2) केन्द्र सरकार, केन्द्र सरकार के कार्यालयों में कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देने पर उचित निर्णय ले सकती

एनसीएपी के 130 शहरों में पारिस्थितिक वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों की जानकारी

क्र.सं.	राज्य	शहर	स्टेशनों की संख्या		
			सतत (सीएएक्यूएमएस)	नियमावली	कुल
1	आंध्र प्रदेश	अनंतपुर	1	4	5
2	आंध्र प्रदेश	चित्तूर	1	5	6
3	आंध्र प्रदेश	एलुरु	0	4	4
4	आंध्र प्रदेश	गुंटूर	0	4	4
5	आंध्र प्रदेश	कड़प्पा	1	5	6
6	आंध्र प्रदेश	कुरनूल	0	4	4
7	आंध्र प्रदेश	नेल्लोर	0	4	4
8	आंध्र प्रदेश	ऑंगोल	0	4	4
9	आंध्र प्रदेश	राजमुंदरी	1	4	5
10	आंध्र प्रदेश	श्रीकाकुलम	0	4	4
11	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा यूए	5	9	14
12	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम यूए	1	9	10
13	आंध्र प्रदेश	विजयनगरम	0	4	4
14	असम	गुवाहाटी	4	8	12
15	असम	नैगांव	1	3	4
16	असम	नलबाड़ी	1	3	4
17	असम	शिवसागर	0	0	0
18	असम	सिलचर	1	3	4
19	बिहार	गया	3	1	4
20	बिहार	मुजफ्फरपुर	3	1	4
21	बिहार	पटना यूए	6	2	8
22	चंडीगढ़	चंडीगढ़	3	5	8
23	छत्तीसगढ़	दुर्ग भिलाईनगर यूए	3	4	7
24	छत्तीसगढ़	कोरबा	2	3	5
25	छत्तीसगढ़	रायपुर यूए	4	6	10
26	दिल्ली	दिल्ली	39	7	46
27	गुजरात	अहमदाबाद यूए	9	9	18
28	गुजरात	राजकोट यूए	0	3	3
29	गुजरात	सूरत यूए	1	3	4
30	गुजरात	वडोदरा यूए	0	3	3
31	हरियाणा	फरीदाबाद यूए	4	2	6
32	हिमाचल प्रदेश	बददी	1	3	4
33	हिमाचल प्रदेश	दमताल	0	2	2
34	हिमाचल प्रदेश	काला अंब	0	2	2
35	हिमाचल प्रदेश	नालागढ़	0	1	1

36	हिमाचल प्रदेश	पोंटा साहिब	0	2	2
37	हिमाचल प्रदेश	परवाणू	0	2	2
38	हिमाचल प्रदेश	सुंदर नगर	0	2	2
39	जम्मू और कश्मीर	जम्मू	0	6	6
40	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर	1	4	5
41	झारखंड	धनबाद यूए	2	3	5
42	झारखंड	जमशेदपुर यूए	0	2	2
43	झारखंड	रांची यूए	0	1	1
44	कर्नाटक	बृहत बैंगलुरु यूए	14	9	23
45	कर्नाटक	देवनगिरी	1	3	4
46	कर्नाटक	गुलबर्गा	2	1	3
47	कर्नाटक	हुबली, धारवाड	3	2	5
48	मध्य प्रदेश	भोपाल यूए	3	8	11
49	मध्य प्रदेश	देवास	1	3	4
50	मध्य प्रदेश	ग्वालियर यूए	4	3	7
51	मध्य प्रदेश	इंदौर यूए	6	3	9
52	मध्य प्रदेश	जबलपुर यूए	4	2	6
53	मध्य प्रदेश	सागर	2	2	4
54	मध्य प्रदेश	उज्जैन	1	4	5
55	महाराष्ट्र	अकोला	1	3	4
56	महाराष्ट्र	अमरावती	2	3	5
57	महाराष्ट्र	औरंगाबाद यूए	3	4	7
58	महाराष्ट्र	चंद्रपुर	2	6	8
59	महाराष्ट्र	जलगांव	1	3	4
60	महाराष्ट्र	जालना	1	2	3
61	महाराष्ट्र	कोल्हापुर	2	3	5
62	महाराष्ट्र	लातूर	1	3	4
63	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई (जीएम) यूए	30	0	30
64	महाराष्ट्र	बदलापुर जीएम यूए	1	1	2
65	महाराष्ट्र	नवी मुंबई जीएम यूए	8	6	14
66	महाराष्ट्र	ठाणे जीएम यूए	2	3	5
67	महाराष्ट्र	उल्हासनगर जीएम यूए	1	2	3
68	महाराष्ट्र	नागपुर यूए	4	4	8
69	महाराष्ट्र	नासिक यूए	4	4	8
70	महाराष्ट्र	पुणे यूए	13	3	16
71	महाराष्ट्र	सांगली	1	3	4
72	महाराष्ट्र	सोलापुर	3	2	5
73	महाराष्ट्र	वसई-विरार सिटी यूए	1	0	1

74	मेघालय	बर्नीहाट	1	1	2
75	नगालैंड	दीमापुर	0	7	7
76	नगालैंड	कोहिमा	1	3	4
77	ओडिशा	अंगुल	1	3	4
78	ओडिशा	बालासोर	1	3	4
79	ओडिशा	भुवनेश्वर	2	6	8
80	ओडिशा	कटक	1	3	4
81	ओडिशा	कलिंग नगर	0	3	3
82	ओडिशा	राउरकेला	3	4	7
83	ओडिशा	तालचेर	1	3	4
84	पंजाब	अमृतसर यूए	1	2	3
85	पंजाब	डेरा बस्सी	0	2	2
86	पंजाब	गोबिंदगढ़	0	0	0
87	पंजाब	जालंधर	1	4	5
88	पंजाब	खन्ना	1	2	3
89	पंजाब	लुधियाना यूए	1	4	5
90	पंजाब	नया नांगल	0	2	2
91	पंजाब	पठानकोट/डेरा बाबा नानक	0	2	2
92	पंजाब	पटियाला	1	3	4
93	राजस्थान	अलवर	1	3	4
94	राजस्थान	जयपुर यूए	6	9	15
95	राजस्थान	जोधपुर यूए	5	9	14
96	राजस्थान	कोटा यूए	3	6	9
97	राजस्थान	उदयपुर	1	3	4
98	तमिलनाडु	चेन्नई यूए	9	8	17
99	तमिलनाडु	मदुरै यूए	1	3	4
100	तमिलनाडु	तूतीकोरिन / थूथुकुडी	1	3	4
101	तमिलनाडु	त्रिची यूए	1	5	6
102	तेलंगाना	हैदराबाद (एचवाई) यूए	14	7	21
103	तेलंगाना	नलगौंडा	0	2	2
104	तेलंगाना	संगारेड्डी	0	3	3
105	उत्तर प्रदेश	आगरा यूए	6	6	12
106	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद यूए	3	5	8
107	उत्तर प्रदेश	अनपरा	0	2	2
108	उत्तर प्रदेश	बरेली	2	2	4
109	उत्तर प्रदेश	फिरोजाबाद	2	3	5
110	उत्तर प्रदेश	गजरौला	0	2	2
111	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद यूए	4	4	8
112	उत्तर प्रदेश	गोरखपुर	1	3	4
113	उत्तर प्रदेश	झांसी	1	2	3

114	उत्तर प्रदेश	कानपुर यूए	4	9	13
115	उत्तर प्रदेश	खुर्जा	1	2	3
116	उत्तर प्रदेश	लखनऊ यूए	7	8	15
117	उत्तर प्रदेश	मेरठ यूए	3	2	5
118	उत्तर प्रदेश	मुरादाबाद	7	2	9
119	उत्तर प्रदेश	नोएडा	4	4	8
120	उत्तर प्रदेश	रायबरेली	0	3	3
121	उत्तर प्रदेश	वाराणसी यूए	4	5	9
122	उत्तराखंड	देहरादून	1	3	4
123	उत्तराखंड	काशीपुर	1	3	4
124	उत्तराखंड	ऋषिकेश	1	3	4
125	पश्चिम बंगाल	आसनसोल यूए	4	5	9
126	पश्चिम बंगाल	दुर्गापुर	3	4	7
127	पश्चिम बंगाल	हल्दिया	1	4	5
128	पश्चिम बंगाल	बैरकपुर (के) यूए	1	5	6
129	पश्चिम बंगाल	हावड़ा (के) यूए	5	5	10
130	पश्चिम बंगाल	कोलकाता (के) यूए	7	18	25
कुल			351	487	838
